सोलोमन सेल्वराज और ओआरएस. बनाम.

इंद्राणी भगवान सिंह और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 8885)

/

02 दिसंबर, 2022

[न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश, जेजे।]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:Or.33-स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की वसूली के लिए सूट-आवेदन यू/Or.33 आर।1 एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करना-निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि मुकदमा विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और अदालत को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा प्रतिबंधित किया गया है-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को Or.33 r में उल्लिखित आधारों पर अस्वीकार किया जा सकता है।5 जिसमें वे आधार शामिल हैं जहां आवेदन में आरोप कार्रवाई का कारण नहीं दिखाते हैं और जहां मुकदमा विधि द्वारा वर्जित है (Or.33 rr.5(घ) और (च) सी. पी. सी.)-तथापि, न्यायालय किसी आवेदन को अस्वीकार करते समय, यू/या 33 आर.15 आवेदक को अपेक्षित न्यायालय ी शुल्क का भुगतान करने के लिए अनुदान समय और फिर मुकदमा उस तारीख को शुरू किया गया माना जाएगा जिस दिन एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था-तत्काल मामले में, प्रथम दृष्टया मुकदमा न्यायालय द्वारा वर्जित था और वादी ने कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया था-इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि निचली न्यायालय ने गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के लिए आवेदन को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि की है-अपीलकर्ता आवश्यक न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया, चार सप्ताह की समय अवधि दी गई है जैसा कि Or.33 r में परिकल्पित है।15 ए-हालाँकि, उक्त आवेदन को अस्वीकार करते समय नीचे की अदालतों द्वारा की गई टिप्पणियों को कि मुकदमा अदालत द्वारा वर्जित है और कार्रवाई का कोई कारण नहीं है, केवल एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के लिए आवेदन का निर्णय करने तक सीमित माना जाएगा-यह प्रतिवादियों के लिए खुला होगा कि वे अभियोग को अस्वीकार करने के लिए आवेदन दायर करें।11 या कोई अन्य आवेदन और उसी पर टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना विधि के अनुसार विचार किया जाए।

/

/

/

/

/

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :**1.1** आदेश **33** नियम **1** सी. पी. सी. के अंतर्गत गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को आदेश **33** नियम **5** सी. पी. सी. में उल्लिखित आधारों पर खारिज किया जा सकता है। इसमें शामिल है कि ए

/

642

643

सोलोमन सेल्वराज और ओआरएस. बनाम.इंद्राणी भगवान सिंह और ओआरएस।

आवेदन में लगाए गए आरोपों में कार्रवाई का कारण नहीं दिखाया जाएगा या यह कि आवेदनों में आवेदक द्वारा लगाए गए आरोपों से पता चलता है कि मुकदमा उस समय लागू विधि द्वारा वर्जित होगा (आदेश **33** नियम **5** (डी) और (एफ) सीपीसी)।इस न्यायालय ने कामू उपनाम कमला अम्मल बनाम एम. मणिकंदन और अन्र के मामले में समान प्रश्न पर विचार किया था। आदेश **33** नियम **5**, सी. पी. सी. पर विचार करते हुए, यह देखा गया कि एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन को अअनुज्ञात कर दिया जाना चाहिए और यदि शिकायत में आरोप कार्रवाई का कोई कारण नहीं दिखा सकते हैं तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।उक्त निर्णय में इस विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को लागू करते हुए और जब प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि वादी कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है और मुकदमा अदालत द्वारा वर्जित है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि निचली अदालत ने गरीब व्यक्तियों के रूप में मुकदमा करने के आवेदन को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि की है।[पैरा **6,4,6,5**] **[648-ई-एच]**

/

/

कामू उपनाम कमला अम्मल बनाम एम. मणिकंदन और अन्र।

(1998) 8 एस. सी. सी. **522**-पर निर्भर।

/

1.2 हालाँकि, उसी समय आदेश **33** नियम **15** और **15** ए सी. पी. सी. को ध्यान में रखते हुए और जब गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है और/या अस्वीकार कर दिया जाता है, तो न्यायालय आदेश **33** नियम **15** ए सी. पी. सी. के अंतर्गत एक आवेदन को अस्वीकार करते हुए आवेदक को उस समय के भीतर आवश्यक अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए समय दे सकता है जो न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है या उसके द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है और ऐसे भुगतान पर और उस समय के भीतर नियम **15** में निर्दिष्ट लागत का भुगतान करने पर, यह माना जाएगा कि मुकदमा उस तारीख को शुरू किया गया था जिस दिन एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, यहां तक कि आदेश **33** नियम **15** सी. पी. सी. पर विचार करते हुए एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति देने से इनकार करना जो कि बाद में किसी के लिए एक बाधा हो सकती है।

/

/

/

/

644 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

/

अपेक्षित न्यायालय शुल्क और ऐसी न्यायालय शुल्क के भुगतान पर यह माना जाएगा कि मुकदमा उस तारीख को शुरू किया गया था जिस दिन एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था।हालाँकि, यह देखा गया है कि विद्वत विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी कि मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वर्जित है और/या कार्रवाई के किसी भी कारण पर नहीं है, केवल गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के लिए उस समय के आवेदन पर निर्णय लेने तक सीमित माना जाएगा।हालाँकि, साथ ही प्रतिवादियों के लिए आदेश **7** नियम **11** सी. पी. सी. और/या वाद को अस्वीकार करने के लिए किसी अन्य आवेदन के अंतर्गत वाद को अस्वीकार करने के लिए एक उचित आवेदन दायर करने के लिए खुला होगा और जब भी ऐसा आवेदन दायर किया जाता है/किया जाता है, तो उस पर विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा, बिना किसी भी तरह से उच्च न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए और गरीब व्यक्तियों के रूप में मुकदमा करने के आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा।[पैरा **6.6**] [**649**-ए-एफ]

/

/

संदर्भित निर्णय

/

(1998) 8 एस. सी. सी. **522**

पर विश्वास किया

पैरा **4.1**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 8885

2021 के सी. एम. ए. संख्या 38 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

/

श्रीमती वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता, बी. रघुनाथ, श्रीमती एन. सी. कविता, सुश्री तनिषा एस., सुश्री स्नेहा बोटवे, के. चंद्र मोहन, श्रीराम पी., अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

वी. पार्थिबन, एन. विजयराघवन, पी. बी. सुरेश, विपिन नायर, कार्तिक जयशंकर, अरिंदम घोष, विनायक मिश्रा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम. आर. शाह, जे.

1. 2021 के सी. एम. ए. No.38 में मद्रास में उच्च विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और दिनांक 28.01.2022 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च विचारण न्यायालय ने उक्त विविध अपील को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज करते हुए विद्वत परीक्षण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने गरीब व्यक्तियों के रूप में मुकदमा दायर करने की अनुमति मांगी है, मूल आवेदक-वादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

645

सोलोमन सेल्वराज और ओआरएस. बनाम.इंद्राणी भगवान सिंह और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

2. कि इसमें अपीलकर्ताओं-मूल वादियों ने स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की वसूली के लिए विद्वत विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर किया।उक्त मुकदमे में वादी ने 2015 की आई. ओ. पी. संख्या 1 के रूप में एक आवेदन दायर किया जिसमें उन्हें गरीब व्यक्तियों के रूप में मुकदमा दायर करने की अनुमति दी गई।कथित आवेदन का प्रतिवादियों द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया था कि मुकदमा अदालत द्वारा वर्जित है; मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं है।वादी के इस दावे का भी विरोध किया गया कि वे गरीब व्यक्ति हैं।विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दायर उक्त आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें गरीब व्यक्तियों के रूप में मुकदमा दायर करने की अनुमति मांगी गई थी।विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा निर्धन व्यक्तियों के रूप में मुकदमा करने के आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विविध अपील का विषय था।

/

/

2.1 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वर्जित है और यदि बाद के मुकदमे की अनुज्ञात जाती है, तो यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश वर्तमान अपील का विषय है।

/

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री वी. मोहना ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि वादी को गरीब व्यक्तियों के रूप में मुकदमा करने की अनुमति देने वाले आवेदन में, विद्वत विचारण न्यायालय और/या उच्च न्यायालय के लिए मुकदमे के गुण-दोष पर राय देना खुला नहीं है और क्या वादी के सफल होने की संभावना है और/या क्या मुकदमा अदालत द्वारा वर्जित है या नहीं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिक से अधिक न्यायालय निर्धन व्यक्तियों के रूप में मुकदमा करने की अनुमति देने वाले आवेदन को खारिज कर सकता है और उस मामले में वादी आवश्यक न्यायालय शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और उसके बाद मुकदमे को आगे बढ़ाया जाना है।

/

/

3.1 अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री वी. मोहना ने बार में कहा है कि अपीलार्थी न्यायालय की फीस का भुगतान करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके आवेदन को गरीब व्यक्तियों के रूप में खारिज कर दिया गया है।

/

4. श्री वी. पार्थिबन, विद्वान वकील, उत्तरदाताओं-मूल प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मुकदमा और कुछ नहीं बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।कि मुकदमा इस आधार पर खारिज होने के लिए उत्तरदायी है कि न्यायपालिका द्वारा वर्जित किया जा रहा है।

/

646

/

[2022] 16 एस सी आर।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि गरीब व्यक्तियों के रूप में मुकदमा करने के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के समय न्यायालय के लिए यह विचार करने के लिए खुला है कि क्या मुकदमा विधि और/या न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या नहीं।रिलायंस को रखा गया है

कामू उपनाम कमला अम्मल बनाम एम. मणिकंदन के मामले में और

अन्र., (1998) 8 एस. सी. सी. 522। 5.संबंधित पक्षों की ओर से लंबे समय तक उपस्थित होने वाले विद्वान वकील को सुना।

/

6. प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं-मूल वादियों ने वाद स्थापित करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद 'सी. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) के आदेश 33 नियम 1 के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों के रूप में मुकदमा करने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।उक्त आवेदन को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर की कि मुकदमा परेशान करने वाला है, विधि की प्रक्रिया और अदालत का दुरुपयोग है और मुकदमा अदालत द्वारा वर्जित है।इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो छोटा प्रश्न उठाया गया है, वह यह है कि क्या उपरोक्त आधार पर आदेश 33 नियम 1 सी. पी. सी. के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों के रूप में मुकदमा करने के आवेदन को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया जा सकता था?इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है, वह उस मामले में भी है जहां गरीब व्यक्तियों के रूप में मुकदमा करने का आवेदन खारिज कर दिया जाता है, कौन सा आदेश पारित किया जा सकता है और वादी/(ओं) के लिए क्या उपाय उपलब्ध होगा?6.1 उपरोक्त प्रश्नों/मुद्दों पर विचार करते समय आदेश 33 सी. पी. सी. के प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करने की आवश्यकता हैः

/

/

/

निर्धन व्यक्तियों के रूप में मुकदमा करने का आवेदन आदेश 33 नियम 1 सी. पी. सी. के अंतर्गत होगा। आदेश 33 नियम 1 ए सी. पी. सी. एक गरीब व्यक्ति के साधनों की जांच का प्रावधान करता है।आदेश 33 नियम 2 सी. पी. सी. आवेदन की सामग्री प्रदान करता है।आदेश 33 नियम 4 सी. पी. सी. आवेदन के उचित रूप में और विधिवत प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में आवेदक की जांच का प्रावधान करता है।आदेश 33 नियम 5 सी. पी. सी. उन परिस्थितियों का प्रावधान करता है जिनके अंतर्गत एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।आदेश 33 नियम 5 सी. पी. सी. निम्नानुसार हैः

/

/

"5. आवेदन को अस्वीकार करना-न्यायालय एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन को अस्वीकार कर देगा -

(क) जहाँ इसे नियम **2** और **3** द्वारा निर्धारित तरीके से विरचित और प्रस्तुत नहीं किया गया है, या

(बी) जहां आवेदक एक गरीब व्यक्ति नहीं है, या ए

/

647

सोलोमन सेल्वराज एंड ओआरएस. वी.इंद्राणी भगवान सिंह और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

(ग) जहां उसके पास आवेदन प्रस्तुत करने से पहले दो महीने के भीतर किसी संपत्ति का धोखाधड़ी से निपटान करने के लिए या एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन करने में सक्षम होने के लिए हैः

बशर्ते कि कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि आवेदक द्वारा निपटाई गई संपत्ति के मूल्य को ध्यान में रखे जाने के बाद भी, आवेदक एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने का हकदार होगा, या

/

((घ) जहां उसके आरोप कार्रवाई का कारण नहीं दर्शाते हैं, या (ङ) जहां उसने प्रस्तावित मुकदमे के विषय-वस्तु के संबंध में कोई समझौता किया है, जिसके अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसे विषय-वस्तु में रुचि प्राप्त की है, या

/

(च) जहां आवेदन में आवेदक द्वारा लगाए गए आरोपों से पता चलता है कि मुकदमा उस समय लागू किसी भी विधि द्वारा वर्जित होगा, या

/

(छ) जहाँ किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमे के वित्तपोषण के लिए उसके साथ समझौता किया है। "

6.2 आदेश 33 नियम 7 सी. पी. सी. सुनवाई में प्रक्रिया प्रदान करता है।आदेश 33 नियम 8 सी. पी. सी. प्रक्रिया प्रदान करता है यदि आवेदन की अनुज्ञात है।ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आवेदन दिया जाता है, तो इसे क्रमांकित और पंजीकृत किया जाएगा, और इसे वाद में वाद माना जाएगा, और वाद अन्य सभी मामलों में सामान्य तरीके से स्थापित वाद के रूप में आगे बढ़ेगा, सिवाय इसके कि वादी किसी भी याचिका, अधिवक्ता की नियुक्ति या मुकदमे से जुड़ी अन्य कार्यवाही के संबंध में प्रक्रिया की सेवा के लिए देय किसी भी न्यायालय शुल्क या शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।अर्थात् यदि इसके बाद आवेदन दिया जाता है तो वाद को क्रमांकित और पंजीकृत किया जाएगा।तब तक शिकायत/मुकदमा पूर्व-क्रमांकित और पूर्व-पंजीकृत चरण में होगा।

/

/

6.3 आदेश 33 नियम 9 सी. पी. सी. आदेश 33 नियम 9 सी. पी. सी. में बताए गए आधारों पर प्रतिवादी या सरकारी वकील के आवेदन पर एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति वापस लेने का प्रावधान करता है। जब आदेश 33 नियम 9 ए सी. पी. सी. के अंतर्गत इस तरह के आवेदन को प्राथमिकता दी जाती है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को एक वकील नियुक्त करे जिसे एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति है, यदि एक वकील द्वारा तैयार नहीं है।इसके बाद सबसे अधिक प्रासंगिक प्रावधान आदेश 33 नियम 15 और आदेश 33 नियम 15 ए सी. पी. सी. है जो निम्नानुसार हैः

/

/

"15. प्रकृति के समान आवेदन को रोकने के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में आवेदन करने की अनुमति देने से इनकार।

आवेदक को एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति देने से इनकार करने वाला आदेश मुकदमा करने के समान अधिकार के संबंध में उसके द्वारा समान प्रकृति के किसी भी बाद के आवेदन के लिए एक बाधा होगी; लेकिन आवेदक को ऐसे अधिकार के संबंध में सामान्य तरीके से मुकदमा करने की स्वतंत्रता होगी।

/

बशर्ते कि वाद खारिज कर दिया जाएगा यदि वह वाद की स्थापना के समय या उसके बाद ऐसे समय के भीतर, जो न्यायालय अनुमति दे, राज्य सरकार और विरोधी पक्ष द्वारा एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए उसके आवेदन का विरोध करने में किए गए खर्च (यदि कोई हो) का भुगतान नहीं करता है। "

/

"15 उ. न्यायालय-शुल्क के भुगतान के लिए समय का अनुदान।

नियम 5, नियम 7 या नियम 15 में निहित कुछ भी न्यायालय को, नियम 5 के अंतर्गत किसी आवेदन को अस्वीकार करते समय या नियम 7 के अंतर्गत किसी आवेदन को अस्वीकार करते समय, आवेदक को उस समय के भीतर अपेक्षित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए समय देने से रोकेगा जो न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है या उसके द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है और ऐसे भुगतान पर और उस समय के भीतर नियम 15 में निर्दिष्ट लागतों के भुगतान पर, यह माना जाएगा कि मुकदमा उस तारीख को शुरू किया गया था जिस दिन एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था।" 6.4 इस प्रकार, आदेश 33 सी. पी. सी. की योजना से यह पता चलता है कि आदेश 33 नियम 1 सी. पी. सी. के अंतर्गत गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को आदेश 33 नियम 5 सी. पी. सी. में उल्लिखित आधारों पर खारिज किया जा सकता है। इसमें यह भी शामिल है कि आवेदन में लगाए गए आरोप कार्रवाई का कारण नहीं दिखाएंगे. या यह कि आवेदन में आवेदक द्वारा लगाए गए आरोप बताते हैं कि मुकदमा उस समय लागू विधि द्वारा वर्जित होगा (आदेश 33 नियम 5 (डी) और (एफ) सीपीसी)।कामू उपनाम कमला अम्मल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा समान प्रश्न पर विचार किया गया।आदेश 33 नियम 5, सी. पी. सी. पर विचार करते समय, यह देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया कि एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन को अअनुज्ञात किया जाना चाहिए और यदि शिकायत में आरोप कार्रवाई का कोई कारण नहीं दिखा सकते हैं तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

/

/

/

/

6.5 उपरोक्त निर्णय में इस विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को लागू करते हुए और जब प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि वादी कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है और मुकदमा अदालत द्वारा वर्जित है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वत निचली अदालत ने गरीब व्यक्तियों के रूप में मुकदमा करने के आवेदन को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि की है।

/

649

सोलोमन सेल्वराज एंड ओआरएस. वी.इंद्राणी भगवान सिंह और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

/

6.6 हालाँकि, उसी समय आदेश 33 नियम 15 और 15 ए सी. पी. सी. को ध्यान में रखते हुए और जब गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है और/या अस्वीकार कर दिया जाता है, तो न्यायालय आदेश 33 नियम 15 ए सी. पी. सी. के अंतर्गत एक आवेदन को अस्वीकार करते हुए आवेदक को उस समय के भीतर आवश्यक अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए समय दे सकता है जो न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है या उसके द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है और ऐसे भुगतान पर और उस समय के भीतर नियम 15 में निर्दिष्ट लागत का भुगतान करने पर, यह माना जाएगा कि मुकदमा उस तारीख को शुरू किया गया था जिस दिन एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, यहां तक कि आदेश 33 नियम 15 सी. पी. सी. पर विचार करते हुए भी एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है जो एक बार्टो हो सकता है।हालाँकि, यह देखा गया है कि विद्वत विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी कि मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वर्जित है और/या कार्रवाई के किसी भी कारण पर नहीं है, केवल गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के लिए आवेदन पर निर्णय लेने तक सीमित माना जाएगा।हालाँकि, साथ ही प्रतिवादियों के लिए आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. और/या वाद को अस्वीकार करने के लिए किसी अन्य आवेदन के अंतर्गत वाद को अस्वीकार करने के लिए एक उचित आवेदन दायर करने के लिए खुला होगा और जब भी ऐसा आवेदन दायर किया जाता है/किया जाता है, तो उस पर विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा, बिना किसी भी तरह से उच्च न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए और गरीब व्यक्तियों के रूप में मुकदमा करने के आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा।वर्तमान अपील का निपटारा उपरोक्त के संदर्भ में किया जाता है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

/

/

/

/

/

/

अपील का निपटारा किया गया।

(सहायकः शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

/